संख्या 31/2018/1039/41-2018-78 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7978/15-1-838(21) टी0टी0/2017 दिनॉक-14.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-02/2018/24/41-2018-78 (बजट)/2017, दिनांक 09.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 200.00 लाख का सन्दर्भ देते हुए आल्हा महोत्सव का आयोजन इस वित्तीय वर्ष में न हो पाने के कारण उक्त शासनादेश में इस महोत्सव हेतु अंकित धनराशि रू0 15.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष में जौनपुर महोत्सव के लिए रू0 10.00 लाख एवं एटा महोत्सव के लिए रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: महानिदेशक, पर्यटन के उक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आल्हा महोत्सव का आयोजन वित्तीय वर्ष 2017-18 में न हो पाने के कारण शासनादेश संख्या-02/2018/24/41-2018-78 (बजट)/2017, दिनांक 09.01.2018 में आल्हा महोत्सव हेतु अंकित अनुदान की धनराशि रू0 15.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष में जौनपुर महोत्सव के लिए रू0 10.00 लाख एवं एटा महोत्सव के लिए रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि मेले/महोत्सवों हेतु अनुदानित धनराशि के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 09.01.2018 का पूर्णतया: अनुपालन किया जायेगा तथा जौनपुर एवं एटा महोत्सव हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशि का सक्षम स्तर से व्यय-विवरण निर्धारित नियमों/मानकों के अन्तर्गत शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या 31/2018/1039/41-2018-78 (बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।